यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** के माह 04/2015 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जितेन्द्र सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2017 से 05.09.2017 तक श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** का मुख्य कार्यकलाप समस्त 0-6 वर्ष के लाभार्थियों एवं गर्भ/धात्रियों को पोषाहार से लाभान्वित करना तथा नंदा देवी योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।

(ब) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	---- पूर्व	लिपिक	द्वारा	अभिलेख	प्रस्तुत नहीं	किया गया।	-----	-----
2016-17	0	0	5247100	4909007	43605100	40597992	0	3345201
2017-18 (Up to july 2017)	0	0	3869592	2214942	18159500	50144432	0	14799718

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय	अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	टी.एच.आर. एवं कुक्ड फूड	----	अभिलेख	प्रस्तुत नहीं	किए गए	------
2016-17	टी.एच.आर. एवं कुक्ड फूड	00	21126000	19016000	00	2110000
2017-18 (Upto	टी.एच.आर. एवं	00	00	00	00	00

july 2017)	कुक्ड फूड					
2015-16	नंदा देवी कन्या योजना	----	----	अभिलेख	प्रस्तुत नहीं	किए गए
2016-17	नंदा देवी कन्या योजना	00	3750000	3750000	00	00
2017-18 (Upto july 2017)	नंदा देवी कन्या योजना	00	00	00	00	00

(iv) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत निदेशक आई.सी.डी.एस. देहरादून एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(v) सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ. 5. सुपर वाइजर 7. आँगनबाड़ी कार्यकर्ता

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II (अ)

प्रस्तर 01 : मुख्य मंत्री वृद्धा पोषण योजना से रुपए 20.50 लाख की जालसाजी द्वारा चोरी होना ।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर जनपद उधम सिंह के लेखा अभिलेखों के नमूना जांच मे या तथ्य प्रकाश मे आया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी के बैंक खाता संख्या 15900200000081 बैंक ऑफ बड़ौदा जसपुर शाखा जनपद उधम सिंह नगर के बैंक खाते से रुपए 20.50 लाख की धनराशि चेक संख्या 000296 द्वारा दिनांक 01/02/2017 को कान्हा इंटरप्राइजेज़ कोठीवाल नगर बुद्ध बाज़ार, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद मे आहरित किया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2017 को इस सम्बंध मे एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसमे यह उल्लेखित था कि कान्हा इंटरप्राइजेज़ मुरादाबाद द्वारा फर्जी चेक बनाकर और फर्जी हस्ताक्षर कर रुपए 20.50 लाख की धनराशि आहरित कर लिया गया था। कार्यालय द्वारा जारी चैक मूल रूप से कार्यालय में मौजूद था।

इस सम्बंध मे यह भी उल्लेखनीय है की उक्त नम्बर के चेक से ही दिनांक 20.01.2017 को रुपए 23.00 लाख की धनराशि रामनगर, जनपद नैनीताल से आहरित करने का प्रयास किया जा चुका था परन्तु बैंक कर्मी, बैंक ऑफ बड़ौदा रामनगर की सूझभूझ के कारण उक्त धनराशि का आहरण नहीं हो सका था। जांच मे यह भी पाया गया अपेक्षित कार्यवाही उपरोक्त घटना के बावजूद भी एवं सतर्कता के आभाव के परिणामस्वरूप 10 दिन बाद ही दिनांक 01.02.2017 को रुपए 20.50 लाख की शासकीय धनराशि की चोरी हो गयी। तत्पश्चात, उक्त प्रकरण मे फर्जी चेक के माध्यम से रुपए 23.00 लाख के आहरण के प्रयास की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो माह बाद दिनांक 25.03.2017 को दर्ज हुई थी। प्रश्नगत प्रकरण मे चोरी/गबन हुई राशि गर्भवती धात्री व बच्चों हेतु टेक होम राशन योजना से संबन्धित थी, जिसका दुष्परिणाम यह रहा की उक्त योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाएं योजना के अंतर्निहित लाभ से वंचित रहीं ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं पुलिस विभाग द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिए जाने के कारण न केवल शासकीय धनराशि की चोरी हुई अपितु इस प्रकार के धोखाधड़ी करने वाले शातिर बदमाशो के मनोबल को बल मिला। फर्जी चेक बनाने वालो के समूह मे विभागीय व्यक्ति तथा बैंक कर्मी के मिलीभगत की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने तथा अवगत कराया कि 23.01.2017 को थाने में नवीन नेगी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी तत्पश्चात उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया गया, एवं बैंक ऑफ बड़ौदा, जसपुर को अन्य चैक निकासी पर रोक लगाने हेतु लिखित रूप में दिया गया था। लेकिन 20.50 लाख की धनराशि आहरण के समय कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया जिसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, मुरादाबाद की एस॰ आई॰ द्वारा 20.50 लाख जांच शुरू कर दी गयी जिसमें मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। उक्त धनराशि टी॰ एच॰ आर॰ एवं कुक्ड फूड से संबन्धित थी तथा उक्त धनराशि गबन/ चोरी होने के कारण लाभार्थी प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रहे।

विभाग का उत्तर था कि उन्हें धनराशि के चोरी होने का पता एक माह 23 दिन बाद चला जिससे स्वतः इंगित करता है कि विभाग बैंक खातों में पड़ी शासकीय धनराशि के प्रति सजग नहीं था जबकि पूर्व में भी जालसाजी का प्रयास किया जा चुका था। इस प्रकार बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा बैंक खाते से हो रहे लेन-देन की नियमित निगरानी में बरती गयी लापरवाही के कारण रू. 20.50 लाख की शासकीय क्षति हुई एवं लाभार्थी वांछित लाभ से वंचित रहें। अतः विभाग का 20.50 लाख के चैक गबन/ चोरी होने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (अ)

प्रस्तर 02 : विभागीय उदासीनता एवं अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक एवं 4480 लाभार्थियों को रूपये 672.00 लाख का भुगतान लम्बित रहना तथा धनराशि रुपए 0.20 लाख के बॉण्ड/धनराशि को राजकोष में जमा न किया जाना ।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहता के रूप में रूपये 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ॰ डी॰ करा डी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के तहत आर्थिक सहायता हेतु यह शर्त भी थी कि यदि बालिका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि राजकोष में जमा कर दी जाएगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर, ऊधम सिंह नगर के नन्दा देवी योजना के लेखों की नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अवधि अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 तक कुल प्राप्त 5759 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 1279 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान किया गया, जबकि लेखा परीक्षा (अगस्त 2017) तक 4480 लाभार्थियों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 672.00 लाख का भुगतान किया जाना लम्बित था।

आगे यह भी देखा गया कि इस योजना के अन्तर्गत जुलाई 2017 तक लाभान्वित बालिकाओं में से 02 की मृत्यु हुई जबकि 02 बालिकाओं की धनराशि रुपए 0.20 लाख के बॉण्ड/धनराशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा न करके कार्यालय में रखे हुये थे। जांच मे यह भी पाया गया कि लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर दे दिया जा रहा था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। परन्तु विभाग द्वारा नियमो एवं प्रविधानों के इतर लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना को सम्यक रूप से लागू न किए जाने के कारण 4480 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित रहे, जो कि असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन धोतक था। इसके अतिरिक्त 02 बालिकाओं की धनराशि रुपए 0.20 लाख के बॉण्ड/धनराशि राजकोष में जमा न करके कार्यालय में रखे हुये थे, तथा लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर दे दिया गया था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। परन्तु विभाग द्वारा लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया था, जो इस योजना की शर्तों का उल्लंघन था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने तथा अवगत कराया कि लाभार्थियों को बजट के अभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। शासन से बजट प्राप्त होने पर

लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जाएगा। 02 बालिकाओं की धनराशि रुपए 0.20 लाख के बॉण्ड/धनराशि राजकोष में शीघ्र जमा करा दी जायेगी।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता के कारण 4480 लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा इसके अतिरिक्त धनराशि रुपए 0.20 लाख के बॉण्ड/धनराशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा नहीं किए गए। बालिका द्वारा 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किए जाने और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किए जाने का प्रावधान था। जबकि विभाग द्वारा लाभार्थियों को प्रथम किश्त के समय समस्त प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका था, विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन था, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी था।

अतः विभागीय उदासीनता एवं योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक एवं 4480 लाभार्थियों को रूपये 672 लाख का भुगतान लाबित रहने तथा 02 बालिकाओं की धनराशि रुपए 0.20 लाख के बॉण्ड/धनराशि विभाग द्वारा राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

STAN

प्रस्तर 01 : अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, जिला ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत आने वाले निमन्वत अभिलेखों को संप्रेक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया

1- अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका,

2- जी पी एफ़ पास बुक एवं लेजर,

3- अवधि 04/2015 से 08/2016 तक की रोकड़ बही बिल वाउचर, प्राप्ति से सम्बन्धी चालान, कोषागार समाधान विवरण पत्र एवं अन्य संबन्धित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4- चयनित माह 03/2016 के 70 बिल वाउचरो की कुल धनराशि रु 1,06,99,989/- को सम्प्रेक्षा हेतु प्रस्तुत नही किया गया है (बिल वाउचरो की सूची हेतु बी° एम° 05)। उक्त माहों की रोकड़ बही एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये ।

विभाग द्वारा उक्त वित्तीय लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना एक गम्भीर अनियमितत्ता है, तथा वित्तीय लेखा अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण गम्भीर वित्तीय अनियमित्तता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि कु° दमयंती आर्य, कनिष्ठ सहायक द्वारा अपनी अवधि का कोई भी अभिलेख सम्प्रेक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

विभाग द्वारा उक्त के संबंध में दिये गए उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि विभाग द्वारा उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------------शून्य----------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) वर्ष 04/2015 से 08/2016 तक का समस्त अभिलेख अप्रस्तुत, सेवा पुस्तिका, जी.पी. एफ. पास बुक एवं लेजर, 04/2015र से 08/2016 तक की रोकड़ बही एवं संबंधित बिल वाउचर एवं अभिलेख संबंधित चालान।

2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमति लक्ष्मी टम्टा	बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर	10.12.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **बाल विकास परियोजना अधिकारी, जसपुर ग्रामीण, ऊधमसिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र